झारखंड उच्च न्यायालय रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 691/2021

निमाई चंद्र डे@ निमाई च.डे, आयु लगभग 40 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय उमेश डे, निवासी अंखद्वारा टोला, वृंदावनपुर, डाकघर- निरसा, थाना- निरसा, (कलुबथान आउटपोस्ट) जिला- धनबाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य .... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री प्रतिउश लाला, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री पी. डी. अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है जो विद्वान् प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा जो जी.आर. संख्या 1319/2020 के तदनुरूप निरसा (कलुबाथन) थाना में दर्ज केस संख्या 113/2020 के संबंध में दिनांक 14.07.2020 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा और जहां विद्वान् प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 414 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया है, जो विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं देकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का दुरुपयोग करके प्राप्त की गई चोरी की संपत्ति को छिपाने में सहायता कर रहा है और उसे काले बाजार में बेच रहा है। घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस दल ने याचिकाकर्ता के गोदाम को बाहर से बंद कर दिया और सभी संबंधित लोगों की उपस्थिति में गोदाम का ताला खोला गया और 129 प्लास्टिक बैग में चावल के ढेर गोदाम में पाए गए। उसी को जब्त कर लिया गया था और लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, निरसा (कलुबथान आउटपोस्ट) थाना में केस संख्या 113/20 आईपीसी की धारा 414 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी और विद्वान विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद ने भी उक्त अपराधों का संज्ञान लिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रमाणन शुल्क के साथ आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति दाखिल करते हैं।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए सजा की परिकल्पना करता है, लेकिन न तो याचिकाकर्ता ने किसी भी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा उल्लंघन किए जाने के किसी भी नियंत्रण आदेश का उल्लेख है, इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनाया गया है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश का हिस्सा जहां तक यह की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान से संबंधित है, उसे रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

6. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है और विद्वान् विशेष लोक अभियोजक यह भी नहीं जानता है कि किस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि नियंत्रण आदेश के किसी भी उल्लंघन के अभाव में, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध नहीं

बनाया गया है, लेकिन वह आगे प्रस्तुत करता है कि जहां तक आईपीसी की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, वही बहुत अधिक बनाया गया है क्योंकि उक्त अपराध के सभी आवश्यक तत्व एफआईआर, केस डायरी और आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों में मौजूद हैं, इसलिए, सीआरपीसी की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए विद्वान जेएमएफसी, धनबाद द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

7. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से जाने के बाद, यहां यह उल्लेख करना के लिए प्रासंगिक है कि दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आवश्यक तत्व। ये हैं:- (i) अपराध की विषय वस्तु चोरी की गई संपत्ति थी; (ii) अभियुक्त ने ऐसी संपत्ति को छिपाने या निपटाने या छीनने में सहायता की।

8. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 414 के तहत दोषी ठहराया जाए, चोरी करने के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का पता लगाया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष केवल यह साबित करने के लिए है कि बरामद की गई संपत्ति चोरी की गई संपत्ति है और अभियुक्त ने उसे छिपाने और निपटाने में मदद की, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजेंद्र नाथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 170 में कहा गया है। आई. पी. सी. की धारा 410 का उल्लेख करना भी उचित है जो निम्नानुसार हैः-

410. चोरी की गई संपत्ति-वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी, या जबरन वसूली, या डकैती द्वारा हस्तांतरित किया गया है, और वह संपत्ति जो आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया गया या जिसके संबंध में 411 [* * *] 412 [* * *] विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया गया है, "चोरी की संपत्ति" के रूप में नामित किया गया है, 413 [चाहे हस्तांतरण किया गया हो, या 414 [भारत] के भीतर या उसके बाहर विश्वास का दुरुपयोग या उल्लंघन किया गया हो]। लेकिन, यदि ऐसी संपत्ति बाद में उस व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है जो कानूनी रूप से उसके कब्जे का हकदार है, तो यह चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती है।

(जोर दिया गया)
आई. पी. सी. की धारा 410 के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक रूप से गबन की गई संपत्ति भी चोरी की गई संपत्ति है।

9. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ खाद्यान्न को छिपाने और निपटाने में सहायता करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किया जाना था, जिसे आपराधिक गबन द्वारा प्राप्त किया गया है, इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत को आदेश के उस हिस्से में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है, जिसके द्वारा, आईपीसी के दंडनीय 414 के संबंध में संज्ञान लिया गया है, लेकिन जहां तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, निश्चित रूप से, किसी भी नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के किसी भी आरोप के अभाव में, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का कारित होना नहीं पाया गया के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा दिनांक 14.07.2020 को जी.आर. संख्या 1319/2020 में आदेश पारित किया गया, जहां तक यह आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में लिए गए संज्ञान से संबंधित है,को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है, लेकिन उक्त आदेश, आईपीसी की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में बनाए रखा गया है।

10. इस आपराधिक विविध याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी,न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 12 फरवरी, 2024

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।